

| | | |
|--------------------|---|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>रणवीरसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार पीपाड़शहर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 108 / 2019</p> | <p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>19.07.19</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रणवीरसिंह पुत्र गोपालसिंह पता 05, कुबेर नगर, फनवर्ल्ड के पीछे, चौपासनी स्कूल के पास, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 16.05.2019 में उसके द्वारा (1) ग्राम चोड़ा तहसील पीपाड़सीटी खसरा नम्बर 183 से 183/531 भूमि विभाजन कब तथा किस आधार पर किया तथा भूमि पैमाईश कर्ता के नाम व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(तहसीलदार पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 1675 दिनांक 15.07.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना प्रेषित कर दी गई। अपीलार्थी ने अपील में अवगत कराया कि उसे अधुरी सूचना दी गई परन्तु अधुरी किस प्रकार दी गई, स्पष्ट नहीं किया गया। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।</p> | |